उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा,
04 फरवरी, 2022

रिट याचिका संख्या–201/2022(एम0एस0)

सुश्री एक्स (नाबालिग) द्वारा अपने पिता

..... याचिकाकर्ता

बनाम
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :– श्रीमती मोनिका पंत
राज्य/प्रतिवादी के अधिवक्ता :– श्री टी0एस0फर्त्याल, विद्वान अतिरिक्त सी0एस0सी0

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

यह रिट याचिका नाबालिग याचिकाकर्ता के पिता द्वारा परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने और प्रतिवादी संख्या–1 उत्तराखण्ड राज्य और प्रतिवादी संख्या–2 मुख्य चिकित्साधिकारी चमोली को कानूनी रूप से सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुये याचिकाकर्ता के गर्भ का तत्काल चिकित्सकीय समापन सुनिश्चित करने को निर्देशित करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, एक बलात्कार पीड़ित है। राजस्व पुलिस स्टेशन, पोखरी/जिलासु, जिला–चमोली में दिनांक 12.01.2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसे 2022 के केस क्राइम संख्या–01 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें नामित आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा–376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण 11.02.2022 को किया गया था। उन्हें सोनोग्राफी की सलाह दी गई थी, जिसने पुष्टि कि की उनका 27 सप्ताह 04 दिन या 15 दिनों का एकल जीवित अंतर्गर्भाशयी भ्रूण है।

3. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मोनिका पंत और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0एस0पंत को सुना। राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मोनिका पंत ने कहा कि अगर गर्भावस्था

क्रमशः.....

जारी रहती है तो याचिकाकर्ता को मानसिक आघात लगेगा और अगर बच्चा जीवित पैदा होता है तो कई समस्यायें पैदा होंगी।

5. दिनांक 24.01.2022 को समन्वय खंडपीठ ने राज्य को एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करने और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल की गई।

6. चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, गर्भावस्था 28 सप्ताह 05 दिन की पाई गई थी। उक्त रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मां के लिए जोखिम और भ्रूण की व्यवहार्यता को देखते हुये, इस गर्भावस्था की उम्र में गर्भावस्था को समाप्त करने की सलाह नहीं दी जाती है।

7. दिनांक 02.02.2022 को दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने सहमति व्यक्त की कि उक्त रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि ऐसी गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन में पीड़िता की मृत्यु का जोखिम शामिल है या नहीं।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 02.02.2022 को मुख्य चिकित्साधिकारी चमोली को इस न्यायालय की सहायता करने और चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट को स्पष्ट करने, अपनी संबंधित टीम के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था।

9. आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी श्री शिव प्रसाद कुरियाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ0 दिव्या पुनेठा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ0 मानव सक्सेना और रेडियोलाजिस्ट डॉ0 अलिंद पोखरियाल मौजूद हैं।

10. चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों की राय है कि यदि याचिकाकर्ता की गर्भावस्था का चिकित्सीय गर्भपात किया जाता है तो याचिकाकर्ता के जीवन के लिये पर्याप्त जोखिम है। उन्होंने आगे कहा कि गर्भावस्था के इस चरण में बच्चा कई विसंगतियों के साथ पैदा हो सकता है।

11. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 की धारा–3 (जैसा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) एक्ट, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है), (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) उस मुद्दे से संबंधित है, जब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है।

12. अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–1 में यह उपबंध है कि भारतीय दंड संहिता में किसी

क्रमशः.....

बात के होते हुए भी यदि कोई गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

13. अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–2 में यह उपबंध है कि उपधारा–4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गर्भावस्था का समापन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा वहां किया जा सकेगा–

(क) जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की, या

(ख) ऐसी स्त्री की कोटी की दशा में, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जायें, जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक है, किन्तु चौबिस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की, सद्भावपूर्वक यह राय है कि,

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अर्न्वलित होगी, या

(ii) इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होगा।

स्पष्टीकरण 1–खंड(क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिये उपयोग कि गई किसी युक्ति या पद्धती की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप, गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

स्पष्टीकरण 2–खंड(क) और खंड(ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलातसंघ द्वारा कारित किये जाने का अभिकथन किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनःस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा।

(2क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी विभिन्न गर्भवधियों के गर्भ के समापन के लिये राय की अपेक्षा है, के मानक वे होंगे, जो इस अधिनिमय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2ख) गर्भावस्था की समयावधि से संबंधित उपधारा (2) के उपबंध किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा

गर्भावस्था के समापन को वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा गर्भावस्था के ऐसे समापन को किसी सारवान भ्रूण अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आवश्यक बना दिया गया है।

(2ग) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधिन नियमों द्वारा विहित किये जाये, चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा

(2घ) चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा;

(क) स्त्री रोग विशेषज्ञ;

(ख) बाल रोग विशेषज्ञ;

(ग) विकिरण विज्ञानी या पराश्रवय विज्ञानी, और

(घ) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जो यथा स्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाए।

14. अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) में यह उपबंध किया गया है कि इस बात का अवधारण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा–2 में यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति की जोखित होगी या नहीं, गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमेय परिस्थितियों का विचार किया जा सकेगा।

15. अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (4) (क) में यह उपबंध है कि किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अथवा जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु जो मानसिक रूप बीमार व्यक्ति हो, को उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही समाप्त किया जायेगा, अथवा नहीं।

16. अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (4) (ख) में यह उपबंध है कि खंड (क) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

17. अधिनियम की धारा–3(2) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन उपधारणा है। जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा कारित किये जाने का अभिकथन किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा।

क्रमशः.....

18. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्रीमती मोनिका पंत ने कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए बनाम भारत संघ, (2018) 14 एस0सी0सी0 75** ने ऐसे मामले में गर्भपात की अनुमति दी है, जहां गर्भावस्था की आयु 25–26 सप्ताह थी और **शर्मिष्ठा चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ, (2018) 13 एस0सी0सी0 339** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति दी है, जब गर्भावस्था की आयु 26 सप्ताह थी।

19. मुरूगन नायक्कर बनाम भारत संघ, 2007 एस0सी0सी0 ऑनलाईन एस0सी0 1092 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित 13 वर्ष की और आघात में थी, अधिनियम में निर्धारित वैधानिक बाहरी सीमा से परे गर्भावस्था में चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति दी थी, भले ही बोर्ड ने कहा कि गर्भपात से मां को भी समान खतरा होगा।

20. बलात्कार के आधार पर गर्भपात का अधिकार है। एक बलात्कार पीड़ित को गर्भ को धारण करने का भी अधिकार है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित शर्तों के अधीन गर्भधारण न रखने का भी अधिकार है।

21. सुचिता श्रीवास्तव और अन्य बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, (2009) 9 एससीसी 1 और **मीरा संतोष पाल बनाम भारत संघ, (2017) 3 एससीसी 462** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला को प्रजनन विकल्प का अधिकार भी ''व्यक्तिगत स्वतंत्रता'' का एक आयाम है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है।

22. जीवन के अधिकार का अर्थ अस्तित्व या पशु अस्तित्व से कुछ अधिक है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। नाबालिग याचिकाकर्ता के पिता ने कहा है कि याचिकाकर्ता गर्भावस्था जारी रखने की स्थिति में नहीं है और यदि याचिकाकर्ता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है।

23. मीरा संतोष पाल (पूर्व) में, गर्भावस्था 24 वें सप्ताह में थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को गर्भधारण समाप्त करने की अनुमति दी और कहा कि सर्वोपरि विचार यह है कि उसे अपने पास परिहार्य खतरे के खिलाफ अपने स्वयं के जीवन को संरक्षित करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी कदम उठाने का अधिकार है।

क्रमशः.....

24. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मोनिका पंत ने कहा कि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता के जीवन को कोई खतरा है, तो गर्भपात की चिकित्सा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए विवेक लागू किया जा सकता है।

25. राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता श्री टी0एस0फर्त्याल द्वारा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उक्त दलीलो का विरोध नहीं किया गया।

26. इन परिस्थितियों में, यदि याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्वासन, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का उल्लंघन करना होगा। इसिलिए, मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय न्यायहित में यह उचित समझता है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसकी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देना उचित समझता हैः–

(i) मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली के समक्ष इस आदेश की एक प्रति पेश किए जाने के 48 घंटे के भीतर, इस न्यायालय के दिनांक 24.01.2022 के आदेश के अनुपालन में गठित चिकित्सकीय बोर्ड के मार्गदर्शन में याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति एक वरिष्ठतम स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा की जारी चाहिए।

(ii) चिकित्सा की समाप्ति की प्रक्रिया के दौरान, यदि वे याचिकाकर्ता के जीवन के लिए कोई जोखिम पाते हैं, तो उनके पास उक्त प्रक्रिया को रद्द करने का विवेकाधिकार है।

(iii) चिकित्सा बोर्ड याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की समाप्ति की प्रक्रिया का पूरा रिकार्ड रखेगा। चिकित्सा बोर्ड डी0एन0ए0 और अन्य परीक्षणों के लिए भ्रूण के ऊतक और रक्त का नमूना एकत्र करेगा।

(iv) यदि बच्चा जीवित पैदा होता है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली प्रतिवादी संख्या–2 और बाल कल्याण समिति, चमोली कानून के अनुसार आवश्यक कार्य करेंगे।

27. राज्य को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया जाता है।

28. इस आदेश की एक प्रति आज ही दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को, नियमों के अनुसार आवश्यक कार्य करने के लिए, प्रदान की जाए।

क्रमशः.....

29. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को तुरंत मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

30. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली को तुरंत उपलब्ध कराए।

31. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के साथ कल दिनांक 05.02.2022 को समय 10:00 बजे पूर्वाह्न मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली के समक्ष पेश होगी।

32. मौजूदा रिट याचिका का निस्तारण तदुसार किया जाता है।

आलोक कुमार वर्मा, जे.
(अवकाश न्यायाधीश)

दिनांकः– 04 फरवरी 2022